TRANSPARENCY
INTERNATIONAL INDIA

20 YEARS
SERVICE TO THE NATION
www.transparencyindia.org

प्रेस विज्ञप्ति

- 14 वर्षों में देश के कुल 3.02 करोड़ (लगभग 2.25 प्रतिशत) लोगों ने किया सूचना के अधिकार का इस्तेमाल, देश के सूचना आयोगों के समक्ष अब तक 21,32,673 द्वितीय अपील एवं शिकायत दर्ज किये गए।
- देशभर में संघ एवं राज्य सूचना आयोग में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में दिए गये निर्देश के बावजूद कुल 155 पदों में से 24 पद अभी भी रिक्त । केवल 7 महिला सूचना आयुक्त देश में कार्यरत हैं, जिनका प्रतिशत कुल 4.5 प्रतिशत ही है।
- राज्यों के सूचना आयोग ने 15578 जन–सूचना पदाधिकरी पर लगाया जुर्माना।
- राज्यवार सूचना के अधिकार के प्रयोग में महाराष्ट्र सर्वोच्च स्थान पर।

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर 2019। शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि 'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता' प्रभावी लोकतत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगें।

देश में 12 अक्टूबर को आरटीआई दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती–राज संस्थाओं में लागू है। कानून बनने के बाद यह माना जा रहा था कि इससे **भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्रियाकलापों में पारदर्शिता आएगी**। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के 14 वर्ष उपरांत भी, **व्याप्त गोपनीयता की कार्यसंस्कृति के कारण अधिकारियों की सोच में परिवर्तन की रफ्तार धीमी है। आरटीआई के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैंकिंग में भारत की रैंकिंग नीचे गिरकर अब 7वें पायदान पर पहुंच गई है, जबकि पूर्व में भारत का स्थान दूसरा था। खास बात यह है कि जिन देशों को भारत से ऊपर स्थान मिला है, उनमें से ज्यादातर देश ने भारत के बाद इस कानून को अपने यहाँ लागू किया है।**

भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता पर काम करने वाली संस्था **"ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया"** की ओर से आज जारी रिपोर्ट के अनुसार कानून के तहत सूचना का अधिकार मिलने के चौदह वर्षों (2005–2018) में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर देश के मात्र 3.02 करोड़ लोगों ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। संस्था ने आरटीआई एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन, मसलन 25(2), सेक्शन 19(1), सेक्शन 19(2), सेक्शन 20(1), रिक्त पद, बजट, वार्षिक रिपोर्ट एवं वेबसाइट पर फोकस कर रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में राज्य सूचना आयोग से जानकारी प्राप्त कर आँकड़ा को साझा किया गया है।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत **केन्द्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जानकारियां मांगी गयी**, साल 2005 से 2017 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय स्तर के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित जानकारियों के सन्दर्भ में कुल **78,93,687** आवेदन प्राप्त हुये।

सूचना के अधिकार का प्रयोग करने में कुल आवेदनों की संख्या के आधार पर पाँच अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं गुजरात हैं। संख्या के आधार पर सबसे कम प्रयोग करने वाले राज्यों में मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय तथा अरूणाचल प्रदेश का स्थान है।

राज्य में जानकारियां मांगने वालों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। आलोच्य अवधि के दौरान महाराष्ट्र में आरटीआई के कुल 61,80,069 आवेदन मिले। इसी अवधि में तमिलनाडु में 26,91,396, कर्नाटक के कुल 22,78,082 ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया।

4, Lajpat Bhawan, Lajpat Nagar - IV, New Delhi - 110024 (India)
Tel.: +91-11- 2646 0826/27, 4063 4797 Fax: +91-11-2646 0824
Email: info@transparencyindia.org TransparencyInternationalIndia @tiindia1

द्वितीय अपील एवं शिकायतों

सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 19(3) एवं धारा 18 के तहत , कुल द्वितीय अपील एवं शिकायतों की संख्या 21,32,673 रही, जिसमें उत्तर प्रदेश के आँकड़े केवल दो वर्ष के ही सम्मिलित हैं।

द्वितीय अपील एवं शिकायतों की कुल संख्या के आधार पर **तमिलनाडु, केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, एवं बिहार सर्वोच्च 5 अग्रणी राज्य है।**

समीक्षाधीन अवधि में देश भर के कुल आरटीआई आवेदनों में केन्द्रीय सूचना आयोग को कुल अपील एवं शिकायत 2,79,344 अपील एवं शिकायत प्राप्त हुये। इसी प्रकार द्वितीय अपील एवं शिकायत हासिल करने में तमिलनाडु में 4,61,812, महाराष्ट्र में 2,77,228 प्रपत्र दाखिल किये गये।

'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया' के कार्यकारी निदेशक रमा नाथ झा ने कहा, "सूचना का अधिकार निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन का कारगर हथियार है, लेकिन अभी तक की आम धारणा में लोग इसके अभ्यस्त नहीं हुये हैं। हालांकि कानून बनने के बाद से केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार ने इसकी जागरूकता के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये।

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक रमा नाथ झा ने कहा कि कानून लागू होने के 14 साल बाद भी देश में शक्तिशाली कुर्सियों पर बैठे लोगों की मानसिकता नहीं बदली है । वो सूचना देने की जगह टालमटोल करने में यकीन रखते हैं । आँकड़ों से पता चलता है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरटीआई अर्जियां गावों से लगाई जाती हैं न कि आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा।

सरकार द्वारा हाल में किए गए संशोधन से से जनता के बीच सरकार की सूचना के अधिकार के प्रति नीति एवंम मंशा को लेकर एक प्रकार का संदेह व्याप्त हो गया है। श्री झा ने कहा, "टीआईआई जल्द ही आरटीआई के बेहतर निष्पादन, जागरूकता, आदि मानकों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी करेगा।"

सूचना आयोग में रिक्तियाँ

देशभर में संघ एवं राज्य सूचना आयोग में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में दिए गये निर्देश के बावजूद कुल 155 पदों में से 24 पद अभी भी रिक्त हैं। जिनमें से केवल 7 महिला सूचना आयुक्त देश में कार्यरत हैं, जिनका प्रतिशत कुल 4.5 प्रतिशत ही है।

राज्यों के सूचना आयोग ने 15578 जन–सूचना पदाधिकरी लगाया जुर्माना

पिछले 14 वर्षों में विभिन्न राज्यों के सूचना आयोग ने 15578 जन–सूचना पदाधिकरी पर धारा 20(1) के तहत जुर्माना लगाया है। उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने पिछले तीन वर्षों में 8,82,000 जुर्माना लगाया। जबकि केन्द्रीय सूचना आयोग ने 2 करोड़ जुर्माना लगाया।

राज्यों के सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन

आरटीआई के क्रियान्वयन एवं निष्पादन के आधार पर टीआईआई द्वारा किये गये विश्लेषण में कहा गया है कि वित्तवर्ष 2017–18 के दौरान अधिकांश सूचना आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन की समयसीमा का पालन नहीं किया।

हालांकि, केन्द्रीय सूचना आयोग सहित कुछ राज्यों ने ही साल 2017–18 तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। मध्य प्रदेश, झारखण्ड एवं कुछ राज्यों के सूचना आयोग ने वार्षिक रिपोर्ट बनाने में विलम्ब किया। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग वर्ष 2005 से अब तक वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने में असमर्थ रहा है। छत्तीसगढ़ ने सभी वार्षिक प्रतिवेदन 2018 तक प्रस्तुत किए हैं, जबकि 2017–18 में 28 में से केवल 9 राज्यों ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन रखा है।

4, Lajpat Bhawan, Lajpat Nagar - IV, New Delhi - 110024 (India)
Tel.: +91-11- 2646 0826/27, 4063 4797 Fax: +91-11-2646 0824
Email: info@transparencyindia.org TransparencyInternationalIndia @tiindia1

सूचना आयोग की वेबसाइट

विभिन्न राज्यों के सूचना आयोगों की वेबसाइट अवलोकन करने पर यह पाया गया कि केन्द्रीय सूचना आयोग, राजस्थान एवम् गुजरात को छोड़कर विभिन्न सभी राज्यों के वेबसाइट नियमित रूप से अपडेट नहीं होते।

बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सूचना आयोग की वेबसाइट अब उपलब्ध नहीं है।

क्यों कमजोर हो रहा सूचना कानून का प्रभाव

1 सूचना आयोग में उच्च संख्या में लंबित केस और खाली पदों की संख्या

2 अप्रभावी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम

3 राज्य सूचना आयोग में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की कमी

4 सूचना आयोग को मजबूत बनाने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव

5 आरटीआई अर्जियों पर कार्रवाई की समीक्षा तंत्र का अभाव

6 राज्यवार असमान आरटीआई कानून

7 सभी जिम्मेदार को एक्ट के पालन से जुड़ी ट्रेनिंग मिले

8 आरटीआई एक्ट को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाई जाए

9 उन सभी सार्वजनिक संस्थाओं को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, जिन्हें सरकार से धनराशि मिलती है

10 गोपनीय आवेदनों पर भी कार्रवाई हो एवम् अधिक से अधिक सूचना, आंकड़ों का स्वतः प्रकाशन हो।

विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें–

बृज भूषण सिंह, मो० 7827742035 रमा नाथ झा, मो० 9312961506